विदेशी कम्पनियों को निवेश पर रजिस्ट्री शुल्क की छूट

- यूपी में कहीं भी भूमि क्रय करने पर मिलेगी छूट
- प्रमुख सचिव स्टाम्प ने जारी किया शासनादेश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी कम्पनियों को राज्य में पूंजी निवेश करने पर जमीन को खरीदने या लीज पर लेने पर रजिस्ट्रीकरण व स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करेगी। इस बाबत स्टाम्प विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने शुक्रवार को शासनादेश जारी किया।

इसके अनुसार फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फार्च्यून नीति-2023 में वर्णित पात्र परियोजनाओं (वैश्विक एवं भारतीय) के लिए राज्य में कहीं भी भूमि क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर उसकी रजिस्ट्री करवाने पर शतप्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। ऐसी जमीन की पूर्वांचल व बुन्देलखंड में खरीद या लीज पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।